संख्या-75/2025/आई/1159027/2025/001-23-7002/5/2025

प्रेषक,

अभिषेक गंगवार,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-7 **लखनऊ: दिनांक 29-11-2025**

विषयः वित्तीय वर्ष 2025-26 में धर्मार्थ कार्य योजनान्तर्गत विभिन्न मण्डलों के कतिपय जनपदों के 15 चालू कार्यों पर धनावंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु०-1), लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र(तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि धर्मार्थ मार्गो के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण एवं विकास हेतु एकमुश्त व्यवस्था योजना के अधोलिखित तालिका में अंकित 15 चालू कार्य पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल रूपये **2081.89 लाख (रूपये बीस करोड इक्यासी लाख नवासी हजार मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित विवरण/शर्तों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रम सं0	मुख्य अभियंता का पत्र सं0 एवं दिनांक	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / मूल लागत/ बचत/बचत के उपरान्त कार्य की लागत	अब तक आवंटन	क्षेत्र से प्राप्त मांग	प्रस्तावित आवंटन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	17566/CE-HQ1/DHARMARTH/JHA/2025-26 Dt-31-10-2025	नि.ख.-3 झांसी	जनपद झाॅसी से एरच ककरई मार्ग (अ0जि0मा0) के कि0मी0 1 से 6(600) तक में 1.5 लेन हेतु चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	185/2025/945/001-23-6099(099)/125/2025,दि-31.03.25	1183.98 1183.98 102.02 1081.96	0.15	202.00	202.00
2	17567/CE-HQ1/DHARMARTH/KNP/2025-26 Dt-31-10-2025	नि.ख. फर्रूखाबाद	अटैनाघाट गंगा नदी के पुल से कम्पिल होते हुए अलीगंज (एटा) सीमा तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरणय का कार्य।	99/2025/666/001-23-6099-099-42-2025,दि-10.03.2025	1747.61 1747.61 350.01 1397.6	745.80	100.00	100.00
3	-तदैव-	नि.ख. फर्रूखाबाद	कम्पिल से कायमगंज तक कि0मी0-13 से 22(500) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	129/2025/863/001-23-6099-099-7-2025	1894.23 1894.23 250.94 1643.29	442.22	150.00	150.00
4	17603/CE-HQ1/DHARMARTH/LKO/2025-26 Dt-04-11-2025	नि.ख.-1 रायबरेली	ऊंचाहार खरौली माग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	167/2025/928/001-23-6099(099)/109/2025	1918.55 1918.55 281.09 1637.46	801.00	150.00	150.00
5	17604/CE-HQ1/DHARMARTH/MIR/2025-26 Dt-04-11-202	प्रा.ख. मिर्जापुर	अमरावती पाषाण मार्ग (विन्ध्याचल अटल चैराहा से देवरहवा बाबा आश्रम तक) (अ0जि0मा0) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	102/2025/383/23-6099/43/2025,दि-11.03.2025	1378.78 1378.78 18.00 1360.78	1222.9	69.84	69.84
6	17658/CE-HQ1/DHARM	नि.ख.-1 मथुरा	जनपद मथुरा में जुगसाना बल्देव बरौली कैलाश एन0एच0-2 मार्ग (प्रमुख जिला मर्ग-173डब्लू) का चै0	79/2023/प्ध्5 14706/2023/	5326.39 5326.39	3372.35	200.00	200.00

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

	ARTH/AGR/2025-26 Dt-07-11-2025		14.250 से 37.800 तक (लम्बाई 23.55 कि0मी0 एवं चैड़ाई 3.75 मी0 से बढ़ाकर 7.00मी0 किया जाना) चौड़ीकरणएवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	23-11099(099)/14/2024, दिनांक-07.03.2024	1234.64 4091.75			
7	17890/CE-HQ1/DHARMARTH/AGR/2025-26 Dt-19-11-2025	प्रा.ख. मथुरा	जनपद मथुरा में में टैंक चौराहा से पावर हाउस मार्ग का चौडीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	179/2025/940/001-23-6099/90/2025	294.33 294.33 110.14 184.19	19.05	100.00	100.00
8	17891/CE-HQ1/DHARMARTH/LKO/2025-26 Dt-19-11-2025	नि.ख. सीतापुर	चौरासी कोसीय परिक्रमा मार्ग हेतु कोरोना से रामगढ़ चीनीमिल सम्पर्क मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	99/2025/666/001-23-6099-099-42-2025,दि-10.03.2025	1144.12 1144.12 203.42 940.70	486.06	200.00	200.00
9	17982/CE-HQ1/DHARMARTH/JHA/2025-26 Dt-25-11-2025	नि.ख.-1 जालौन	रामपुरा थाना गोहन मार्ग वाया उमरी जालौन देवी मन्दिर हेतु चैनेज 0.00 से 12.220 तक चौड़ीकरण के कार्य।	109/2025/775/001-23-6099-5-2025	982.20 982.20 218.00 764.20	412.00	150.00	150.00
10	-तदैव-	नि.ख.-1 जालौन	माधौगढ़ उमरी कुठौन्द वाया जाजेपुरा मार्ग पर जालौन देवी मन्दिर हेतु चैनेज 1.700 से 2008 तक चौड़ीकरण का कार्य।	169/2025/932/23-6099/95/2025	1104.83 1104.83 266.00 838.83	361.42	150.00	150.00
11	17984/CE-HQ1/DHARMARTH/VNS/2025-26 Dt-25-11-2025	नि.ख.-1 गाजीपुर	जनपद गाजीपुर में रेवतीपुर गहमर रोड वाया माँ कमाख्या टू करहिया टी0बी0 रोड (ग्रामीण मार्ग) के चौडीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	156/2025/917/001-23-6099-93-2025	147.16 147.16 2.06 145.10	131.80	6.05	6.05
12	18052/CE-HQ1/DHARMARTH/BAR/2025-26 Dt-28-11-2025	नि.ख.-1 बरेली	जनपद बरेली में भमौरा शाहाबाद बिलारी मार्ग (राज्य मार्ग सं0-125) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य (लम्बाई 46.70 कि0मी0)	310/2023/प्थ्398486ध्2023/23-11099(099)/99/111/2023, दि0-30.09.2023	14910.39 14910.39 3114.15 11796.245	10137.22	300.00	300.00
13	18053/CE-HQ1/DHARMARTH/LKO/2025-26 Dt-28-11-2025	नि.ख.-1 रायबरेली	डलमऊ मकनपुर गंगाघाट का अवशेष भाग का चौडीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	180/2025/942/23-6099/97/2025	41.26 41.26 4.94 36.32	25.42	4.00	4.00
14	18056/CE-HQ1/DHARMARTH/KNP/2025-26 Dt-28-11-2025	नि.ख.-2 कानपुरनगर	जनपद कानपुरनगर में मंधना-गंगा-बैराज शुक्लागंज पुरवा-मोहनलालगंज मार्ग (राज्य मार्ग सं0-173) के कि0मी0 1 से 17 तक 02 लेन से 04 लेन तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य (लम्बाई 17.00 कि0मी0)	312/2023/प्थ्400439ध्2023/23-11099(099)/99/122/2023, दि0-04.10.2023	15935.63 15607.90 2976.45 12631.45	11286.74	200.00	200.00
15	17982/CE-HQ1/DHARMARTH/JHA/2025-26 Dt-25-11-2025	नि.ख.-3 जालौन	जनपद उरई में कुठौंद से जालौन देवी मन्दिर वाया शेखपुर अहिर मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के कि0मी0 1 से 14 व 15 (300) (लम्बाई 14.30 कि0मी0 एवं चैड़ाई 3/3.75 से बढ़ाकर 5.50 मी0) चैड़ीकरण का कार्य।	51/2024/आई/498178/2024/23-11099(099)/12/2024	1136.34 1136.34 50.00 1086.34	986.34	100.00	100.00
							कुल योग	**2081.89**

नियम व शर्ते/प्रतिबन्ध

(1) प्रश्नगत चालू कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/कार्यों के संपरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

(3) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपरोक्त परियोजना के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल एवं पुनरीक्षित शासनादेशों के समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) लोक निर्माण विभाग में सी०सी०एल० प्रणाली समाप्त किये जाने के फलस्वरूप वर्क्स से संबंधित बजट के आनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी०डी०ओ० कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 तथा कार्यों के व्यय को सी०सी०एल० प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किये जाने के संबंध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13.04.2022 में निहित व्यवस्था/शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में निहित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 20,81,89,000 (रुपये बीस करोड़ इक्यासी लाख नवासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 058 **लेखा शीर्षक** 5054043371200 धर्मार्थ मार्गो के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण, नवनिर्माण एवं विकास हेतु एकमुश्त व्यवस्था (चालू कार्य) **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
अभिषेक गंगवार
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1) निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उ०प्र० शासन ।
2) निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन ।
3) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
4) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
5) सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी ।
6) मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7) वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8) सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
9) सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
10) सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
11) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु०-4/वित्त (आय-व्ययक) अनु०-1, उ०प्र० शासन।
12) राज्य योजना आयोग-1/2, 30प्र0 शासन।
13) अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

14) लोक निर्माण अनुभाग-10/11, उ०प्र० शासन।

15) नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ०प्र०शासन।

16) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अभिषेक गंगवार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।